कार्यालय जल सहायता संगठन
राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भूतल सतपुड़ा भवन, भोपाल

संविदा आधार पर जिला स्तरीय कंसलटेंट्स एवं विकासखंड स्तरीय समन्वयकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन
(ऑन लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.08.2013)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित राज्य जल सहायता संगठन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संविदा आधार पर जिला स्तरीय कंसलटेंट्स एवं विकासखंड स्तरीय समन्वयकों के निम्नानुसार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु एम. पी. ऑन लाईन लिमिटेड के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	संविदा पद का नाम	कुल रिक्त पद	सामान्य		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		योग	
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला
1	जिला स्तरीय मानव संसाधन विकास कंसलटेंट	06	–	01	–	–	–	–	02	03	02	04
2	जिला स्तरीय सूचना शिक्षा एवं संचार तथा इक्विटी कंसलटेंट	10	01	–	–	–	–	–	06	03	01	09
3	जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सह सूचना प्रबंधन कंसलटेंट	44	11	08	05	02	06	02	07	03	29	15
4	जिला भूजलविद् कंसलटेंट	32	05	07	03	02	04	02	06	03	18	14
5	विकासखंड स्तरीय संयोजक(तकनीकी)	194	13	47	19	13	29	15	39	19	100	94

पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	एकमुश्त मासिक देय राशि
1	जिला स्तरीय मानव संसाधन विकास कंसलटेंट	शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन / सामाजिक विज्ञान / सामाजिक कार्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि सामान्य एवं अन्य पिछड़ा संवर्ग हेतु न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा समकक्ष ग्रेड एवं अनु.जाति एवं अनु.ज.जाति संवर्ग हेतु न्यूनतम 50% प्राप्तांक अथवा समकक्ष ग्रेड। कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता।	ग्रामीण विकास / सामुदायिक विकास / महिला सशक्तीकरण / जल एवं स्वच्छता हेतु गतिविधियाँ संचालित करने का कम से कम पाँच वर्ष का प्रबंधकीय / प्रशिक्षक स्तर का अनुभव जो शासकीय विभाग / अर्द्ध शासकीय संस्था / शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था अथवा एन.जी.ओ.* का हो।	रू. 25,000/– एवं नियमानुसार यात्रा भत्ता
2	जिला स्तरीय सूचना शिक्षा एवं संचार तथा इक्विटी कंसलटेंट	शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन / सामाजिक कार्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि सामान्य एवं अन्य पिछड़ा संवर्ग हेतु न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा समकक्ष ग्रेड एवं अनु.जाति एवं अनु.ज.जाति संवर्ग हेतु न्यूनतम 50% प्राप्तांक अथवा समकक्ष ग्रेड। कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता।	ग्रामीण विकास / सामुदायिक विकास / महिला सशक्तीकरण / जल एवं स्वच्छता हेतु गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव जो शासकीय विभाग / अर्द्धशासकीय संस्था / शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था / एन.जी.ओ.* का हो।	रू. 25,000/– एवं नियमानुसार यात्रा भत्ता
3.	जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सह सूचना प्रबंधन कंसलटेंट	शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यकी / गणित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि सामान्य एवं अन्य पिछड़ा संवर्ग हेतु न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा समकक्ष ग्रेड एवं अनु.जाति एवं अनु.ज.जाति संवर्ग हेतु न्यूनतम 50% प्राप्तांक अथवा समकक्ष ग्रेड। कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता।	ग्रामीण विकास / सामुदायिक विकास / महिला सशक्तीकरण / जल एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव जो शासकीय विभाग / अर्द्धशासकीय संस्था / शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था / एन.जी.ओ.* का हो।	रू. 25,000/– एवं नियमानुसार यात्रा भत्ता

क्र	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	एकमुश्त मासिक देय राशि
4	जिला भूजलविद् कंसलटेंट	शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि सामान्य एवं अन्य पिछड़ा संवर्ग हेतु न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा समकक्ष ग्रेड एवं अनु.जाति एवं अनु.ज. जाति संवर्ग हेतु न्यूनतम 50% प्राप्तांक अथवा समकक्ष ग्रेड। कम्प्यूटर पर एम. एस. आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता।	ग्रामीण जल प्रदाय/ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सेटेलाइट डाटा हाइड्रोजियोमार्फोलोजिकल मैप (Hydrogeomorphiological Map) जियोफिजिकल सर्वेक्षण (Geophysical Investigation) तथा टोपोशीट (Toposheet) के उपयोग का कम से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव जो शासकीय विभाग/राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था/एन.जी.ओ.* का हो अथवा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पंजीयन कराकर विभागीय कार्यादेश के अनुसार कार्य करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।	रू. 25,000/- एवं नियमानुसार यात्रा भत्ता
5	विकासखंड स्तरीय संयोजक (तकनीकी)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा संवर्ग हेतु न्यूनतम 55% प्राप्तांक अथवा समकक्ष ग्रेड एवं अनु.जाति एवं अनु.ज.जाति संवर्ग हेतु न्यूनतम 50% प्राप्तांक अथवा समकक्ष ग्रेड। कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस सॉफ्ट वेयर में कार्य करने में दक्षता।	ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं/ जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम/ ग्रामीण स्वच्छता के संबंध में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ ग्राम पंचायतों के साथ कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव जो शासकीय विभाग/ अर्द्धशासकीय संस्था अथवा शासन से शतप्रतिशत अनुदान/शासकीय कार्य प्राप्त संस्था एन.जी.ओ.* का हो।	रू. 10,150/- एवं नियमानुसार यात्रा भत्ता

* केवल उन गैर सरकारी संगठनों (NGO) द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किये जायेंगे, जिन्हें शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो अथवा जिन्होने शासकीय कार्यादेशों के अंतर्गत कार्य किया हो एवं जिनका विगत दो वर्षों मे टर्न ओवर कम से कम रू. 5.00 लाख प्रतिवर्ष का हो, साथ ही उन्होने ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया हो।

चयन ऑन लाइन परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा जो mponline द्वारा आयोजित की जायेगी। उपरोक्त पदों हेतु ऑन लाइन आवेदन पत्र जो कि website "mponline.gov.in" पर उपलब्ध है, पर दिनांक 27.08.2013 रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे। आवेदन शुल्क जो रूपये 600/- (छः सौ) है, नेट बैंकिंग/क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से अथवा mponline के कियोस्क पर नकद जमा की जा सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट रहेगी। उन्हे एम0पी0ऑन0लाईन कियोस्क पर सेवा शुल्क रूपये 50/- (पचास) मात्र भुगतान करना होगा। आवेदक को आवेदन करने के उपरांत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भोपाल/होशंगाबाद/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ छिंदवाड़ा/ रीवा/शहडोल/ग्वालियर/मुरैना/सागर शहरों में स्थित मण्डल कार्यालयों में सम्बन्धित अधीक्षण यंत्री के समक्ष समस्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियों सहित सत्यापन/परीक्षण हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सत्यापन / परीक्षण में अधीक्षण यंत्री द्वारा योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिये एम0पी0ऑन0लाईन की वेबसाइट "mponline.gov.in" द्वारा प्रवेश पत्र जारी हो सकेगा। ऑन लाइन परीक्षा का आयोजन **दिन – शनिवार दिनांक 07 सितंबर 2013** को mponline के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना एवं रीवा स्थित चिन्हित केन्द्रों पर किया जायेगा।

आयु सीमा – क्रमांक 1 से 3 तक के पदों हेतु आयु दिनांक 31.7.2013 को 25 वर्ष से कम एवं समस्त प्रकार की छूटों के लाभ के उपरांत भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। जबकि क्रमांक 4 के पद हेतु आयु दिनांक 31.07.2013 को 25 वर्ष से कम एवं समस्त प्रकार की छूटों के लाभ के उपरांत भी 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। क्रमांक 5 के पद हेतु आयु दिनांक 31.07.2013 को 21 वर्ष से कम एवं समस्त प्रकार की छूटों के लाभ के उपरांत भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

उपरोक्त संविदा नियुक्तियाँ सामान्यतः अनुबंध सम्पादित करने की दिनांक से एक वर्ष के लिये ही होगी, जिन्हें आवश्यकता होने पर एवं सेवा प्रदाता की परफोर्मेंस संतोषजनक होने पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। परीक्षा से संबंधित पूर्ण विवरण एवं शर्तें /जानकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट www.mpphed.gov.in एवं www.mponline.gov.in पर देख सकते हैं। परीक्षा निर्देशों से संबंधित कोई भी शंका होने पर आवेदक एम0पी0ऑन0लाईन की हेल्प डेस्क नम्बर 0755-4019407, 4019408, 4019409 में संपर्क कर सकता है।

संचालक

कार्यालय जल सहायता संगठन
राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भूतल सतपुडा भवन, भोपाल

संविदा आधार पर जिला स्तरीय कंसलटेंट्स एवं विकासखंड स्तरीय समन्वयकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन एवं नियम पुस्तिका में संशोधन कमांक 1
(ऑन लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.08.2013)

मूल विज्ञापन कमांक जी–18395/13 में उल्लेखित संविदा पद कमांक –2 का विवरण निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

क्र.	संविदा पद का नाम	कुल रिक्त पद	सामान्य		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		योग	
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला
2	जिला स्तरीय सूचना शिक्षा एवं संचार तथा इक्विटी कंसलटेंट	10	01	–	–	–	–	–	06	03	07	03

ऑन लाइन परीक्षा का आयोजन दिन – शनिवार दिनांक 07 सितम्बर 2013 एवं दिन – रविवार 08 सितंबर 2013 को किया जावेगा।

शेष विवरण एवं शर्तें यथावत रहेंगीं ।

संचालक

कार्यालय संचालक
जल सहायता संगठन
राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भूतल सतपुड़ा भवन, भोपाल

संविदा आधार पर जिला स्तरीय कंसल्टेंट्स एवं विकासखण्ड स्तरीय समन्वयक की नियुक्ति हेतु नियम पुस्तिका

(ऑन लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.08.2013)

1. जिला स्तरीय मानव संसाधन विकास कंसल्टेंट द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य :–

- प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन कर ग्रामीण जल प्रदाय के क्षेत्र में विकासखंड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण माडयूलों का विकास करना।
- क्षमता विकास हेतु जिला स्तरीय वार्षिक योजना तैयार करना/प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा क्षमता विकास हेतु विकासखंड रिसोर्स सेंटर्स/पंचायत स्तरीय प्रशिक्षणों की वार्षिक योजनायें/प्रशिक्षण केलेण्डर तैयार करने में विकासखंड रिसोर्स सेंटर्स को मार्गदर्शन प्रदान करना।
- मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंडों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा एवं विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही करना।
- राज्य द्वारा मानव संसाधन एवं विकास हेतु जिलों को मुक्त की गयी राशि का लेखा रखना एवं उन्हें अद्यतन करना।
- विकासखंडों से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं संकलित कर जिलों की मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक आन लाईन प्रगति प्रतिवेदन राज्य जल मिशन को उपलब्ध कराना तथा भारत शासन की वेबसाईट पर अपलोड करना।
- समय–समय पर दिये निर्देशानुसार, कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करने हेतु जिले में भ्रमण करना।
- त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों का विश्लेषण कर, विकासखंड स्तर पर विचार–विमर्श एवं समीक्षा हेतु आधार दस्तावेज तैयार करना।
- संचालक, राज्य जल मिशन एवं संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सौंपे गये सभी कार्य।

2. जिला स्तरीय सूचना शिक्षा एवं संचार तथा इक्विटी कंसल्टेंट द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य :–

- ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों से संबंधित समस्त कार्य।
- ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता क्षेत्र के कार्यक्रमों की संचार गतिविधियों हेतु मार्गदर्शिका, मार्गदर्शी नियमावली तथा तकनीकी टीपों का विकास करना।
- जिला स्तरीय सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना तथा विकासखंड रिसोर्स सेंटर्स को उनकी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में सूचना, शिक्षा एवं संचार के उपलब्ध साहित्य को सभी विकासखंडों एवं पंचायतों तक पहुंचाने हेतु समन्वय करना।
- कार्यक्रमों की सफलता/उत्तम प्रक्रियाओं/संस्थागत व्यवस्थाओं का दस्तावेजीकरण करना।
- जल संरक्षण एवं सदुपयोग, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर सेमीनार, कार्यशाला एवं समीक्षा बैठकों को जिले में आयोजित करने में सहयोग प्रदान करना तथा इनके लिये पठनीय साहित्य तथा आधारभूत दस्तावेज तैयार करना।
- जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन संस्थाओं को, ग्रामीण जल प्रदाय व्यवस्था एवं समग्र स्वच्छता से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं संचार विषयों पर परामर्श प्रदान करना : (विशेषतः मांग पैदा करना/प्रचार प्रसार, हाईजीन का प्रचार, विद्यालयीन स्वच्छता एवं हाइजीन, तकनीकी विकल्प, वैकल्पिक वितरण प्रणाली (Alternate Delivery Mechanism), जल एवं स्वच्छता हेतु सूक्षम वित्तीय व्यवस्था (Micro financing for water and sanitation).
- जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर विचार विमर्श एवं समीक्षा हेतु मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना तथा जिले के विभिन्न विकासखंडों की प्रगति का संकलन करना एवं राज्य स्तर पर प्रेषित करना तथा राज्य शासन एवं भारत शासन की वेबसाईट पर अपडेट कराना।
- संचालक, राज्य जल मिशन एवं संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सौंपे गये सभी कार्य।

3. जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्याकंन सह सूचना प्रबंधन (मॉनीटरिंग एवं इवैल्यूएशन कम एम.आई.एस.) कंसल्टेंट द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य :–

- ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग द्वारा जिले में क्रियान्वित किये जा रहे समस्त कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अपडेट करना एवं ऑन लाइन रिपोर्ट करना।
- जिले में ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का स्वतंत्र रूप से अनुश्रवण एवं मूल्याकंन करना।

- भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनों का विश्लेषण कर जिला जल एवं स्वच्छता समिति / राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SWSM /SLSSC) की बैठकों हेतु प्रतिवेदन बनाना।
- ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जिलों / विकासखंडों रिसोर्स सेंटर्स / पंचायतों, द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रियाओं का सूक्ष्म विश्लेषण कर समीक्षात्मक प्रतिवेदन बनाना।
- महत्वपूर्ण एवं मुख्य संसाधन संस्थानों से समन्वय स्थापित कर अनुश्रवण प्रणाली (Monitoring Network) का विकास करना।
- ग्रामीण जल प्रदाय एवं स्वच्छता के कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्याकंन हेतु जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों / सेमीनारों / कार्यशालाओं के आयोजनों में सहायता करना।
- विकासखण्डों एवं जिले द्वारा अपनायी गयी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली के आंकलन हेतु जिले में भ्रमण करना तथा संचालक राज्य जल मिशन एवं संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- संचालक, राज्य जल मिशन तथा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सौंपे गये सभी संबंधित दायित्वों का निर्वहन कार्य।

4. भूजलविद् कंसल्टेंट द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य :-

- जिले में स्थित ग्रामीण जल प्रदाय के वर्तमान पेयजल स्रोतों का विश्लेषण कर, पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने हेतु योजनायें बनाना। विशेषतः जनजातीय क्षेत्र, केन्द्रीय भूजल बोर्ड/राज्य शासन द्वारा चिन्हित किये गये जल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्र डार्क/ग्रे क्षेत्र, पेयजल उपलब्ध के मान से कठिन एवं जल तनाव क्षेत्र हेतु।
- जिले स्थापित/स्थित पेयजल स्रोतों को दीर्घजीवी बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे भूजल, सतही जल, वर्षा के छतीय जल की उपलब्धता के आधार पर कार्यक्रम/योजना तैयार करना एवं योजनायें स्वीकृति हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को प्रस्तुत करना एवं स्वीकृति के उपरांत क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- जिले से संबंधित सेटेलाइट डाटा, हाइड्रोजिओमॉरफोलाजिकल मैप (Hydrogeomorphiological Map) जिओफिजिकल सर्वेक्षण (Geophysical Investigation) तथा टोपोशीट (Toposheet) के उपयोग कर भूजल स्रोत / भूजल पुर्नभरण (Ground water Recharge) संरचनाओं का स्थल चयन करने, रूपांकन निर्माण एवं रख रखाव हेतु महत्वपूर्ण एवं मुख्य संसाधन संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर सभी संबंधितों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं आयोजित करना।
- भूजल क्षेत्र के अन्तर्गत जिले में विभाग द्वारा क्रियान्वित समस्त कार्यक्रमों की ऑन लाईन प्रगति प्रतिवेदनों को अद्यतन रखना।

- भूजल क्षेत्र के अंतर्गत विभाग द्वारा जिले में क्रियान्वित समस्त कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्याकंन स्वतंत्र रूप से करना एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनों का विश्लेषण कर जिला जल एवं स्वच्छता समिति / राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SWSM / SLSSC) की बैठकों हेतु प्रतिवेदन बनाना।
- जिले के विभिन्न विकासखण्डों एवं विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर भूजल स्रोत / भूजल पुर्नभरण (Ground Water Recharge) संरचनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना तथा संचालक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- जिले में क्रियान्वित की गयी भू-जल संवर्धन योजनाओं के प्रभाव का आंकलन करना।
- संचालक, राज्य जल मिशन तथा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सौंपे गये सभी संबंधित दायित्वों का निर्वहन कार्य।

1. विकासखण्ड स्तरीय कोआर्डिनेटर (तकनीकी) द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य :-

- ग्रामीणों को ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन में मदद करना।
- ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों में शुद्ध पेयजल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता पैदा करना एवं संचार गतिविधियों का विकास करना।
- ग्राम पंचायत सदस्यों / ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों एवं कार्यक्रम से संबंधित अन्य कार्यकर्ताओं के लिये विभिन्न पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित करना।
- प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना एवं कैलेण्डर के अनुरूप गतिविधियों का संचालन करना।
- उनके कार्यक्षेत्र में स्थापित स्त्रोतों के सर्वेक्षण, सैनिटरी सर्वे आदि के कार्य में ग्राम पंचायतों / स्वस्थ्य ग्राम समितियों की मदद करना एवं आधार भूत आंकड़े तैयार करना।
- ग्राम की जल सुरक्षा योजनायें तैयार करने में ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों की मदद करना।
- ग्राम की कार्ययोजना के प्रावधानों के अनुसार नल जल प्रदाय एवं स्वच्छता योजनाओं के क्रियान्वयन के मूल्याँकन एवं अनुश्रवण में ग्राम पंचायतों / ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों की सहायता करना।
- जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के कार्यकत्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करना एवं सुनिश्चित करना कि वे जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अधीन गतिविधियों का संचालन करें।

- पंचायत सदस्यों, आशा कार्यकत्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं, स्वयं सेवी समूहों, महिला एवं युवक मंडलों के सदस्यों के साथ सतत् संपर्क बनाये रखना एवं जल प्रदाय व्यवस्था एवं स्वच्छता के कार्यो की ओर ध्यानाकृष्ठ करना।
- विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में स्वच्छ प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये नियमित रूप से स्कूलों का भ्रमण करना।
- सोशल आडिट करने में ग्रामवासियों की मदद करना।
- उपखंडीय, जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय बनाये रखना तथा जल नमूनों के परीक्षण परिणामों से ग्रामवासियों को अवगत कराना, साथ ही शुद्ध पेयजल की उपलब्धता बनाये रखने हेतु क्या कार्यवाही की जाना है इस संबंध में पंचायतों / ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों को मार्गदर्शन देना।
- विकासखण्ड में स्थापित जल स्त्रोतों /वसाहटों से संबंधित आंकडों को सूचना प्रबंधन प्रणाली पर अद्यतन करने हेतु विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- संचालक, राज्य जल मिशन तथा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सौंपे गये सभी संबंधित दायित्वों का निर्वहन कार्य।

चयन प्रक्रिया :–

उम्मीदवारों के चयन हेतु कुल 100 अंक होगें, जिनमें से ऑन लाईन परीक्षा में प्राप्त अंक, स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव का weightage निम्नानुसार होगा :–

ऑन लाईन परीक्षा में प्राप्त अंक	–	70
स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंक	–	20
अनुभव	–	10

जिला स्तरीय कंसल्टेंट्स हेतु स्नातकोत्तर एवं विकासखंड स्तरीय समन्वयक (तकनीकी) के लिये स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंक विचारणीय होगें।

ऑन लाईन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगें, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प होगें, इन विकल्पों में से एक ही सही होगा। उम्मीदवार को 120 मिनट की समयावधि में 100 प्रश्नों के उत्तर ऑन लाईन देने होगें। प्रत्येक सही उत्तर के लिये एक अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर के लिये कोई अंक नहीं काटे जायेंगे। पद क्रमाँक 1 से 4 के लिये 100 प्रश्नों में से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य ज्ञान के 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तार्किक ज्ञान के एवं शेष 50 प्रश्न वांछनीय अर्हकारी स्नातकोत्तर उपाधि के विषय से संबंधित होगें। पद क्रमांक 5 के लिये 100 प्रश्नों में से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य ज्ञान के एवं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तार्किक ज्ञान के होगें।

"सामाजिक कार्य" विषय से स्नातकोत्तर अभ्यर्थी पद कमांक –1 एंव 2 हेतु एक ही आवेदन पत्र द्वारा आवेदन कर सकेगें । इस हेतु उन्हें आवेदन पत्र में अपने पद का प्राथमिकता कम भरना अनिवार्य है ।

आवेदक को आवेदन करने के उपरांत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भोपाल/होशंगाबाद/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ छिंदवाड़ा/ रीवा/शहडोल/ग्वालियर/मुरैना/सागर शहरों में स्थित मण्डल कार्यालयों में सम्बन्धित अधीक्षण यंत्री के समक्ष समस्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियों सहित सत्यापन/परीक्षण हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सत्यापन / परीक्षण में अधीक्षण यंत्री द्वारा योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिये एम0पी0ऑन0लाईन की वेबसाइट **"mponline.gov.in"** द्वारा प्रवेश पत्र जारी हो सकेगा। अधीक्षण यंत्री द्वारा अभिलेखों/प्रमाणपत्रों के सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा एम0पी0ऑन0लाईन को भुगतान किया गया आवेदन शुल्क वापिस नहीं किया जावेगा।

अन्य विवरण एवं शर्ते :–

1. ऑन लाईन परीक्षा के आयोजन हेतु केन्द्रों का निर्धारण, एम.पी.ऑन लाईन लिमिटेड द्वारा ही किया जायेगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. ऑन लाईन परीक्षा के प्राप्तांकों, अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर एम.पी.ऑन लाईन लिमिटेड द्वारा वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।
3. वरीयता निर्धारण हेतु दशमलव के 2 अंको तक विवेचना में लिया जायेगा।
4. वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जायेगा।
5. प्रश्नों का उपरोक्त विभाजन प्रावधिक है, जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन विभागीय सहमति से किया जा सकेगा।
6. वरीयता सूची के संबंध में चयनित आवेदकों को एम.पी.ऑन लाईन लिमिटेड द्वारा एस.एम.एस. तथा ई–मेल से सूचित किया जायेगा। अतः आवेदकों को अपना सही मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. की जानकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।
7. वरीयता सूची विभागीय वेबसाईट एवं एम.पी.ऑन लाईन लिमिटेड के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
8. चयनित अभ्यर्थियों को संचालक, जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल कार्यालय में अनुबंध की कार्यवाही हेतु उपस्थित होना होगा।
9. कार्यानुभव हेतु शासकीय /अर्द्धशासकीय संस्थान /शासन से शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। **गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के प्रकरण में अनुभव प्रमाणपत्र के साथ सम्बधित एन.जी.ओ की चार्टड एकाउन्टेट द्वारा अंकेक्षित (AUDITED) विगत दो वर्षों की बैलेंस शीट की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है, जिससे कुल टर्नओवर एवं शासकीय अनुदान/कार्यादेशों की पुष्टि होती हो।**

10. उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी अथवा संविदा नियुक्ति अमान्य की जावेगी। संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
11. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अभ्यर्थी बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
12. संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करना प्रतिबंधित होगा।
13. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
14. यदि संविदा पर नियुक्त कोई अभ्यर्थी बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
15. नियुक्ति उपरांत किसी भी समय पर संबंधित द्वारा वित्तीय अनियमितता में दोष सिद्ध होने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली हेतु नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
16. उक्त रिक्तियों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन/संशोधित विज्ञापन इस नियम पुस्तिका का भाग होगें ।

निर्हतायें:–

1. पररूपधारण (Imposter) संबंधी – किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपने उम्मीदवारी को सशक्त करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अपने नाम से ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित करते पाये जाने पर परिक्षार्थी की परीक्षा निरस्त मानी जावेगी ।
2. उम्मीदवारी में सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी स्त्रोत से किया गया कोई भी प्रयास अभ्यर्थी के लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
3. एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन करने पर तथा एक पद के लिए आयोजित ऑनलाईन परीक्षा की भिन्न पालियों (Shift) में एक से अधिक बार अभ्यर्थी की उपस्थिति पाये जाने पर।
4. उम्मीदवारी में सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी स्त्रोत से किया गया कोई भी अनुचित प्रयास अभ्यर्थी के लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
5. कूटरचित अभिलेख/फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने एवं चयन के समय जानकारी छिपाने पर।

6. कदाचरण संबंधी–शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत अथवा नैतिक पतन हेतु दण्डित अभ्यर्थी को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

7. ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हों अथवा किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया हो, को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

8. विवाह संबंधी – ऐसे अभ्यर्थी जिनका विवाह नियत की गई न्यूनतम आयु अर्थात पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले हुई हो, उन्हे संविदा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

संचालक